(31)

780
16-12-16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, केम्प भोपाल

A-4235-PB2016

1. हरीश चन्द्र खेरवाणी आ. किशन लाल खेरवाणी(मृत)
द्वारा वारसान श्रीमती रेखा पत्नि हरीश चन्द्र खेरवाणी
निवासी हरदा जिला हरदा म.प्र.

2. शंकर लाल आ. किशन लाल खेरवाणी
निवासी हरदा जिला हरदा म.प्र..............................अपीलार्थीगण

बनाम

म.प्र.शासन राजस्व विभाग......................................उत्तरवादी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2)म.प्र. भू.राजस्व संहिता

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 234/अपील 2012-13 जिसके पक्षकार हरीश चन्द्र खेरवाणी (मृत) द्वारा वारसान पत्नि श्रीमती रेखा खेरवाणी व एक अन्य बनाम शासन थे, में पारित आदेश दि.29.10.2015 जिसकी जानकारी इन अपीलार्थीगण को दि.09/07/16.को हुई से क्षुब्ध व व्यथित होकर निम्न आधारों पर पेश है :-

श्री दिलीप तिवारी एडवोकेट द्वारा 8858
R to Coll

8/9/2016
अधीक्षक
कलेक्टोरेट, होशंगाबाद

16/12/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 4235–पीबीआर/16 **जिला** हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 234/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । आयुक्त ने अपने आदेश में यह स्पष्ट उल्लेखित किया है कि कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कार्यवाही कर प्रतिवेदन आयुक्त के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन की ओर भेजा गया है, जो वहां लम्बित है । अतः उनके समक्ष अपील निरस्त करने में आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । वैसे भी राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः यह अपील अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	